ग्राम पंचायत हटवास, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

1 **{क} प्रस्तावना:-** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, हटवास विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री प्रेम कुमार	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री स्वरूप चन्द	23-01-16 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रमेश कुमार	1-01-13 से 10-03-14 तक
2.	श्री देश राज	10-3-14 से 6-06-15 तक
3.	श्री बीन सिंह	07-06-15 से लगातार

{ ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	₹ लाखों में
1	7	अनुदान राशियों का अधिक खर्च करने बारे	1.74
2.	7.1	अनुदान राशियों का अवरोधन ।	9.23
3.	8	औपचारिकता के बिना खरीद करने बारे ।	0. 33
4.	9	निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण न करना ।	1 .47

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत हटवास, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण,जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है ,श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 19-09-2016 से 23-09-2016 तक के दौरान पंचायत कार्यालय में किया गया । आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 04 /13,03/15 व 02/16 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 07/13, 01/15 व 05/15 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं नि रीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण /गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत हटवास, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 1-4-2013 से 31-3-2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या :201 दिनांक 23 -09-16 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत हटवास से अनुरोध किया गया ।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत हटवास द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्व: स्त्रोत :- ग्राम पंचायत हटवास के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	93403	123778	**217181**	120737	**96444**
2014-15	96444	68003	**164447**	31109	**133338**
2015-16	133338	131811	**265149**	147975	**117174**

{2} **अनुदान :-** ग्राम पंचायत हटवास के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	555076	4381001	**4936077**	4690071	**246006**
2014-15	246006	1742421	**1988427**	1641737	**346690**
2015-16	346690	4845969	**5192659**	4269954	**922705**

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB N /BAGWAN	20012007899	992213
2.	KCCB N/BAGWAN	20012008644	86464
3.	SBI GHORAB	11329127526	1012
		TOTAL	**₹ 1079689**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-16 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 1079689

(ख)दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष :- ₹ 1039879

अन्तर :- ₹39810

अन्तर का कारण :- निम्नलिखित चैक जारी किए परन्तु 31-03-16 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए ।

क्रम.सं.	चैक जिनको जारी किए गए	चैक न०	दिनांक	राशि
1.	मै० रितु सूद पठियार	563114	17-07-15	9555
2.	मै० रणजीत सिंह हटवास	RTGS	07-12-15	21000
3.	मै० फाउंडेशन सिस्टम न० बगवां	565416	22-12-15	6755
4.	मै० कार चॉइस बोर्ड न० बगवां	071201	25-02 -16	2500
			कुल जोड़ :-	**₹39810**

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा। यह खाता पंचायत निधि खाता -क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह, नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और ऋण मानी जाएंगी । इस आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता-ख जाना जायेगा । परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही व तीन पास बुक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जो की अनियमित है। अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

5.2 नियमों के विरुद्ध तीन बैंक बचत खातों का खोला जाना :-

हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है । परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार तीन बैंक बचत खाते खोले गए है । अत: नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए एक अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये ।

5.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार का एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्यक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी । प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी । इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान

पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है । इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

6 गृहकर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्व स्त्रोत , गृहकर, इत्यादी से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण में आवयश्क जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके आभाव में ग्रह -कर व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी । जोकि एक गम्भीर अनियमितता है । अत: पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

7 अनुदानों का प्राप्त राशि से ₹ 1.74 लाख अधिक व्यय करने बारे :-

पंचायत सचिव हटवास द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 को अनुदान 3rd state ,VKVNY,ZP , MPLADS,MMGPY के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹44941 , ₹6925, ₹119896, ₹2080 व ₹177 इन अनुदानों में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से ₹1.74 लाख अधिक खर्च किए गए जोकि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई

7.1 अनुदान ₹ 9.23 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹9.23 लाख उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने

वाले लाभ से वांछित होना पड़ा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :198 दिनांक 23-09-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हटवास को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.33 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹33340 के स्टॉक स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या :199 दिनांक 23-09-16 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत हटवास को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत हटवास द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

8.1 निविदाओं में अनियमितताये:- अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में जितनी भी रेत,बजरी व निम्नलिखित विवरणानुसार जो अन्य खरीद की गई इनकी खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही था:-

(क)

(1)मै० रितु सूद पठियार	**:-**	**98160-52128,98162-52128**
(2)मै० शालिनी सूद पठियार	**:-**	**--------यथोपरि----------**
(3)मै० अशवनी सूद नगरोटा बगवां	**:-**	94188-34334,01892-252166

(ख) वा.सं 36 माह 7/13 मै० अम्बे हार्डवेयर मलां 6723/- 140kg सरिया :-(केवल दो निविदाएँ)

(1) मै० अम्बे हार्डवेयर मलां :- 98162 -50922

(2) मै० कटोच ब्रदर मलां :- 98162 -50922

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त विवरणानुसार जो खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही था परन्तु निविदाओं को कमेटी द्वारा नियमानुसार खोला गया था व ग्राम सभा में भी पारित किया गया था जब इस बारे ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया तो ग्राम पंचायत द्वारा अनियमितता बताई गई। अत: उक्त बारे स्थिति स्पष्ट कि या जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए ।

9 क्रय की गई ₹ 1.47 लाख निर्माण सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर ₹146597 की निर्माण व अन्य सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज व जारी करना नहीं दर्शाया गया है जो की एक गम्भीर मामला है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :199 दिनांक 23-09-16 द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत हटवास को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत हटवास द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है जो की एक गम्भीर मामला है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या :- 200 दिनांक 23-09-16 द्वारा

सचिव,ग्राम पंचायत हटवास को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत हटवास द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	ग्रह-कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
3.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
4.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	डाक टिकट रजिस्टर
6.	रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलान सारणी
7.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
8.	खाताबहीयां
9.	रसीद बुक रजिस्टर

11 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है ,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते }नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही ।

13 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है ।

14 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में उचित सुधार की आवयश्कता है ।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 48/2016–खण्ड–1–1021–1024 दिनाँक :15.02.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत हटवास, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवाँ, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.